भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 672

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मामलों का निपटान</u>

672. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अस्तित्व में आने के बाद से अब तक विश्वास-रोधी के 80 प्रतिशत से ज्यादा मामले निपटाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीसीआई का ऐसे मामले में जांच और कार्यवाहियों को रोकने के लिए तंत्र बनाने का विचार है, यदि कोई उल्लंघनकर्ता प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ पक्षों ने ऐसे मामले में सीसीआई से शिकायत वापस लेने और मामले को बंद करने का अनुरोध किया है, यदि उनके द्वारा बीच में ही सुधार कर लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीसीआई की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): दिनांक 31 मार्च, 2016 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुल 707 मामले प्राप्त किए हैं। इन मामलों में से 576 मामलों का निपटान कर दिया गया है जो 81.47% निपटान दर्शाता है।

(ख): यह आयोग इस प्रकार का कोई तंत्र बनाने का प्रस्ताव नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ): मामला संख्या 01/2013, 01/2014, 18/2014, 84/2014, 93/2014, 04/2015 और 07/2016 में सूचना देने वालों/पक्षकारों ने मामले को वापस लेने का अनुरोध

किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का यह मानना है कि केवल सूचना देने वालों/पक्षकारों द्वारा मामले को वापस लेने या पक्षकारों के बीच सुधार करने/समझौते होने से इस मामले की कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*****